

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए) सम्मिलित है, जिसमें ₹ 822.99 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ शामिल है।

अध्याय 1: वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

राजस्व सुरक्षा के सरकार के मुख्य उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, 1 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल के सभी अंतरराज्यीय आवाजाही हेतु ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई थी। अंतःराज्य आवाजाही के लिए, हरियाणा राज्य के लिए ₹ 50,000 की निर्धारित सीमा के साथ ई-वे बिल अनिवार्य किया गया था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या ई-वे बिल प्रणाली सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी थी; और क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल एवं प्रभावी थी। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत, जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद ₹ 13.49 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 41 ई-वे बिल सृजित किए गए थे। चार करदाताओं ने एक ही इनवॉइस पर अनेक ई-वे बिल सृजित किए थे।

(अनुच्छेद 1.9.4 एवं 1.9.5)

पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 10 करदाताओं से संबंधित 12 ई-वे बिल लेनदेन, जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 2.78 करोड़ था, जोखिमपूर्ण वाहनों अर्थात् गुम हुए वाहनों, स्कैप, अभ्यर्पण, निरस्त और निलंबित वाहनों, दुपहिया वाहनों आदि का उपयोग करके निष्पादित हुए थे। यह भी पाया गया कि संबंधित जावक आपूर्ति को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 रिटर्न में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 1.9.6)

12 करदाताओं द्वारा ₹ 36.30 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 68 ई-वे बिल जनरेट किए गए थे, जो पंजीकरण के छः माह के भीतर बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल, पिन कोड से पिन कोड तक अत्यधिक दूरी वाले ई-वे बिल, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय के डिफॉल्टरों से संबंधित ई-वे बिल, विदेश व्यापार महानिदेशालय की ब्लैक लिस्ट में डाली गई संस्थाओं के ई-वे बिल, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अपराधों के लिए बुक किए गए पक्ष और अमान्य पिन-कोड का उपयोग करके जनरेट किए गए ई-वे बिल में शामिल थे।

(अनुच्छेद 1.9.10 (iii))

तीन करदाताओं से संबंधित ₹ 92.05 लाख के कर योग्य मूल्य वाले छः ई-वे बिल सृजित किए गए थे और बाद में उन करदाताओं के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे।

{अनुच्छेद 1.9.10 (iv)}

**अध्याय 2: वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी -
चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन और विभाग की निगरानी तंत्र के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण (वस्तु एवं सेवा कर विंग से प्राप्त डेटा) पर आधारित थी, जिसने अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और संदिग्ध संकेतों को उजागर किया। विभाग द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड गठनों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि को शामिल किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में उन 6,064 करदाताओं के संबंध में नोटिस जारी नहीं किया, जिन्होंने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान सात महीने या उससे अधिक समय तक वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.6.1)

10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत, विभाग द्वारा 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए 55,984 स्वतः संज्ञान निरस्तीकरण मामलों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से, 49,641 करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल नहीं की, जिसे फाइल किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, 40,344 मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा प्रपत्र वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.6.2)

विभाग ने कर के विलंबित भुगतान पर दो मामलों में ₹ 3.17 करोड़ का कम ब्याज उद्ग्रहित किया। एक मामले में, सक्षम अधिकारी द्वारा रिटर्न फाइल न करने पर विलंब फीस उद्ग्रहित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.6.3 (क) एवं (ख))

करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के मध्य नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के सेट पर की गई थी, जैसे कि वार्षिक

रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, ब्याज का कम भुगतान, 380 करदाताओं से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर दिए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और असमाधित कर देयता आदि।

(अनुच्छेद 2.7)

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 687 मामलों में से विभाग ने केवल 339 मामलों का उत्तर दिया। इनमें से 196 मामले 57.81 प्रतिशत अनुपालन के पाए गए, जिनमें ₹ 738.34 करोड़ की अनुपालन विसंगतियां शामिल थीं। स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.)/स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) के अंतर्गत कर का कम भुगतान, अदत्त कर देयता और इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल जैसे जोखिम मानकों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें पाई गईं। 339 मामलों में से, विभाग ने 123 मामलों में कार्रवाई आरंभ की जिनमें से 17 मामलों में ₹ 3.49 करोड़ की वसूली की गई, 101 मामलों में ₹ 582.07 करोड़ के नोटिस जारी किए गए, और पांच मामलों में ₹ 4.60 करोड़ की विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित किया गया।

(अनुच्छेद 2.7.1 एवं 2.7.2)

70 मामलों में से 69 मामलों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ₹ 7,692.48 करोड़ की राशि से संबंधित मांगे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट/कर देयता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। इस कारण, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ में बेमेल/विचलन और बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की विस्तृत जांच नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.8.1)

19 करदाताओं ने एक से 293 दिनों की देरी से मासिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल की थी और ₹ 1.64 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था।

(अनुच्छेद 2.8.2)

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच कर देयता के बेमेल के 87 मामलों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे, जिनमें ₹ 356.76 करोड़ की राशि शामिल थी।

(अनुच्छेद 2.8.4)